

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 174 : Repeal and saving

- (1) Save as otherwise provided in this Act, on and from the date of commencement of this Act, the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (except as respects goods included in entry 84 of the Union List of the Seventh Schedule to the Constitution), the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (16 of 1955), the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978), and the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereafter referred to as the repealed Acts) are hereby repealed.
- (2) The repeal of the said Acts and the amendment of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereafter referred to as “such amendment” or “amended Act”, as the case may be) to the extent mentioned in the sub-section (1) or section 173 shall not—
- (a) revive anything not in force or existing at the time of such amendment or repeal; or
 - (b) affect the previous operation of the amended Act or repealed Acts and orders or anything duly done or suffered thereunder; or
 - (c) affect any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued or incurred under the amended Act or repealed Acts or orders under such repealed or amended Acts:
Provided that any tax exemption granted as an incentive against investment through a notification shall not continue as privilege if the said notification is rescinded on or after the appointed day; or
 - (d) affect any duty, tax, surcharge, fine, penalty, interest as are due or may become due or any forfeiture or punishment incurred or inflicted in respect of any offence or violation committed against the provisions of the amended Act or repealed Acts; or
 - (e) affect any investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudication and any other legal proceedings or recovery of arrears or remedy in respect of any such duty, tax, surcharge, penalty, fine, interest, right, privilege, obligation, liability, forfeiture or punishment, as aforesaid, and any such investigation, inquiry, verification (including scrutiny and audit), assessment proceedings, adjudication and other legal proceedings or recovery of arrears or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such tax, surcharge, penalty, fine, interest, forfeiture or punishment may be levied or imposed as if these Acts had not been so amended or repealed;
 - (f) affect any proceedings including that relating to an appeal, review or reference, instituted before on, or after the appointed day under the said amended Act or repealed Acts and such proceedings shall be continued under the said amended Act or repealed Acts as if this Act had not come into force and the said Acts had not been amended or repealed.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (3) The mention of the particular matters referred to in sub-sections (1) and (2) shall not be held to prejudice or affect the general application of section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) with regard to the effect of repeal.
-

धारा 174 : निरसन और व्यावृत्ति

- (1) इस अधिनियम में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 84 में सम्मिलित मालों के सिवाय), औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है), का निरसन किया जाता है।
- (2) धारा 173 या उपधारा (1) में उल्लिखित उस विस्तार तक उक्त अधिनियमों का निरसन और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) का संशोधन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति, "ऐसा संशोधन" या "संशोधित अधिनियम" कहा गया है),-
- (क) ऐसे संशोधन या निरसन के समय किसी भी अप्रवृत्त या अविद्यमान विधि को पुनः प्रवर्तित नहीं करेगा; या
- (ख) संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों और आदेशों के पूर्व में प्रवर्तन में होने या उनके अधीन सम्यक् रूप से की गई या भुगती गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा; या
- (ग) ऐसे संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के अधीन या ऐसे संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के अधीन किए गए आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा :
- परन्तु** किसी अधिसूचना के द्वारा निवेश पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त कोई कर छूट, विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिन पर या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है;
- (घ) किसी शुल्क, कर, अधिभार, जुर्माने, शास्ति, ब्याज जो देय हों या देय हो सकते हों या संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के प्रति किए गए किसी अपराध या उल्लंघन के संबंध में उपगत या किए गए किसी समपहरण या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा;
- (ङ) किसी अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और संपरीक्षा सहित), निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य किसी विधिक कार्यवाही या बकायों की वसूली या यथापूर्वोक्त किसी शुल्क, कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार को प्रभावित नहीं करेगा और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, सत्यापन (संवीक्षा और संपरीक्षा सहित), निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या उपचार को संस्थित, जारी या प्रवर्तन में रखा जा सकेगा और ऐसे किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माने, ब्याज, समपहरण या दंड को इस प्रकार उद्गृहीत या अधिरोपित किया जा सकेगा मानो इस अधिनियमों को इस प्रकार से संशोधित या निरसित नहीं किया गया है;
- (च) ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करेगा, जिनके अंतर्गत किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश से संबंधित कार्यवाहियां भी हों, जिन्हें नियत दिन से पूर्व या उसके पश्चात् उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के अधीन संस्थित किया गया है और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियम या निरसित अधिनियमों के अधीन इस प्रकार जारी रहेंगी मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त

भाग-I

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

अधिनियमों को संशोधित और निरसित नहीं किया गया है।

- (3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को, निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या प्रभावित करने वाला, नहीं समझा जाएगा।
-